फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय नि0 Q-3 गोविन्दनगर हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 72/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक/एसडीएम/सू0अ0/2025/96 दिनांक 11.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय Q-3 गोविन्दनगर हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन संख्या 24448343866 0406 दिनांक 14.06.2025 के क्रम में प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय से चाही गई सूचनाएं प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 95 दिनांक 10.07.2025 को ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना अपलोड करके भिजवा दी गई थी। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील, अपीलार्थी प्रथम सुनवाई के दौरान ही खारिज करना फरमावे। अपीलार्थी श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय द्वारा दिनांक 18.08.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत वांछित समस्त सूचनाएं प्रमाणित दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये रजि0 पत्र क्रमांक :— सामान्य/निर्वा/सूचना का अधिकार/2025/97—98 दिनांक 18.08.2025 से अपीलार्थी को भिजवा दी गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा जरिये पत्रांक 95 दिनांक 10.07.2025 को ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना अपलोड करके प्रार्थी को भिजवा दी गई एवं सामान्य/निर्वा/सूचना का अधिकार/2025/97–98 दिनांक 18.08.2025 से प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी जाने उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)